अध्याय–3

राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासकीय प्रमुख है। आबकारी आयुक्त (आ.आ.) विभाग प्रमुख है, जिनकी सहायता के लिए मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, (अ.आ.आ.), तीन उपायुक्त आबकारी (उ.आ.आ.), सम्भागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी (स.आ.आ.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते है। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन को प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिए सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिए भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई, संयंत्र (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

राज्य आबकारी राजस्व में, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अधिरोपित या आदेशित किसी शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियाँ संचिन्हित होती है। इसमें विक्रय के लिए मदिरा का विनिर्माण आधिपत्य तथा प्रदाय, भाँग एवं पॉपी स्ट्रॉ से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आबकारी आयुक्त कार्यालय से आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आई.ए.सी.) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, ये अन्य 6 अधिकारियों के सहयोग से विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य का निष्पादन करते है।

इकाईयों की योजना, लेखापरीक्षित ली गई आपत्तियाँ, निराकृत एवं शेष आपत्तियों का विश्लेषण **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयां	लेखापरीक्षित ईकाइयां	रोस्टर से कम लेखापरीक्षित इकाईयां	कमी का प्रतिशतं	शामिल की गई कंडिकाएं	निराकृत की गई कंडिका	वर्ष के अन्त मे शेष बची कंडिकाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
2009–10	48	26	22	45.83	14	–	64
2010–11	50	41	08	18.00	60	07	117
2011–12	50	16	34	68.00	64	12	169
2012–13	50	16	34	68.00	111	10	270
2013–14	35	08	27	77.14	41	00	311

विभाग द्वारा (सितम्बर 2014) में बताया गया कि इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा में वर्ष 2013–14 के लक्ष्य में कमी विधानसभा चुनाव में स्टाफ की पदस्थापना के कारण हुई।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बन्धित 61 इकाईयों में से 37 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 66,035 प्रकरणों में ₹ 361.90 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हें आगामी **तालिका 3.2** में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैं।

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ	2,812	39.83
2	सत्यापन प्रतिवेदन की प्राप्ति न होने पर शुल्क की वसूली न होना	3,940	30.10
3	स्पिरिट/मदिरा की अधिक हानियों पर शास्ति/शुल्क का अनारोपण	14,059	20.51
4	मदिरा दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना	04	0.13
5	देशी/विदेशी मदिरा का अनियमित प्रदाय	102	4.69
6	लायसेंस की शर्तो के उल्लघंन पर शास्ति का अनारोपण	3,602	6.97
7	अन्य प्रेक्षण	41,516	259.67
योग		**66,035**	**361.90**

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किये गये 38,689 प्रकरणों में ₹ 180.99 करोड़ के अवनिर्धारण, शास्ति का अनारोपण एवं राजस्व की हानि को स्वीकार किया। वर्ष 2013–14 में 406 प्रकरणों में ₹ 1.49 करोड़ की राशि वसूल की गई।

कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षण को जिनमें ₹ 60.43 करोड़ की राशि 28,096 प्रकरणों में अंतर्निहित है, उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने आबकारी आयुक्त, उपायुक्त आबकारी, सहायक आयुक्त आबकारी तथा जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में उत्पाद शुल्क, फीस एवं अन्य प्रभारों के निर्धारण अभिलेखों की जाँच की और शुल्क, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के प्रकरण पाये और अनेक प्रकरणों में अधिनियम/नियमों तथा परिपत्रों के प्रावधानों का पालन न किये जाने सम्बन्धी कई प्रकरण पाये, जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया। ये प्रकरण उदाहरणात्मक है तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित है। ऐसी चूकों को पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, किन्तु ऐसी अनियमितताएं लगातार बनी हुई है जो कि विभाग की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावहीनता को दर्शाती है।

3.5 विभाग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को दिया गया अनुचित लाभ

आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक तीन फरवरी 2012 को जारी अधिसूचना के तहत् वर्ष 2012–13 के लिए दुकानो के माध्यम से शराब की बिक्री के लिए शर्तों के तहत् दुकान का वार्षिक मूल्य, बेसिक लाईसेंस शुल्क (बी.एल.एफ) और वार्षिक लाईसेंस शुल्क (ए.एल.एफ.) की राशि होगी। बी.एल.एफ, स्थान के अनुसार दुकान के वार्षिक मूल्य की 55 फीसदी और 60 फीसदी के बीच तय की जाएगी और शेष राशि ए.एल.एफ. के रूप में वसूल की जाएगी । बी.एल.एफ और ए.एल.एफ. दोनो 24 पाक्षिक किस्तों में वसूल योग्य होगी । शराब के मुद्दे पर बी.एल.एफ के रूप में लाईसेंस धारी द्वारा जमा शुल्क की राशि की दुकान के ए.एल.एफ. की पाक्षिक मांग के खिलाफ समायोजन किया जाएगा । एक लाईसेंसी किसी भी पखवाड़े के लिए निर्धारित ए.एल.एफ. की राशि से अधिक शराब खरीद करता है तब वह राशि आगामी पाक्षिक अवधि के ए.एल.एफ. के खिलाफ समायोजन होगी । इसके अलावा वर्ष के लिए निर्धारित शराब के लिए अतिरिक्त बी.एल.एफ जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी, शराब जमा राशि के विरूद्ध जारी की जा सकती है ।

हमने अवलोकित किया कि (अगस्त 2013) के लिए ई.सी. कार्यालय में जिला आबकारी आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के अनुसार 34 जिलों[1] के ए.एल.एफ 2013 देशी शराब और 709 विदेशी शराब की दुकानो के लिए ₹ 1,230.04 करो़ड़ था । लाईसेंसधारियों ए.एल.एफ ₹ 1262.98 करोड़ शुल्क जमा कर शराब खरीदी जो कि ₹ 32.94 करोड़ तक सीमा से अधिक थी । इन मामलों में जमा की गई डयूटी ए.एल.एफ से अधिक राशि जमा की गई बजाय उसे आगामी पक्ष की ए.एल.एफ राशि में समायोजित करने के एवं उसके विरूद्व मदिरा लेने के लिए तब तक अनुमत किया जब तक वर्ष की कुल ए.एल.एफ के बराबर मदिरा उनके द्वारा ले ली गई। ऐसा किसी प्रकार का समायोजन मदिरा विक्रय की शर्तो में शामिल नहीं था इस तरह के विक्रय पर ₹ 40.26 करोड़ बी.एल.एफ 55 प्रतिशत की दर से वसूल की जानी चाहिए थी। हमने देखा कि लाईसेंसधारियों द्वारा बी.एल.एफ के रूप में राशि ₹ 43.10 लाख जमा कराई गई शेष बची राशि की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस तरह अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ के साथ बी. एल.एफ ₹ 39.83 करोड़ कम वसूली की गई।

हमारे बताये जाने के बाद (अगस्त 2013), में आबकारी आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013), कि सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत दुकान का वार्षिक मूल्य चुकाने के बाद लायसेंस राशि को शराब जारी करने का प्रावधान है जिसके लिए उसे अतिरिक्त बजट नहीं देना पड़ता है।हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि मदिरा का प्रदाय पूरे वर्ष की निर्धारित बी.एल.एफ की पुरी राशि चुकाने के बाद किया जा सकता है। इन प्रकरणों में लाईसेंसी को शराब का निर्धारित सीमा से अधिक का क्रय करना अनुमत किया गया था परन्तु उनसे उसकी अनुपालित बी.एल.एफ की राशि वसूल नहीं की गई थी जो कि अनुचित है एवं जिसके कारण खुदरा लाईसेंसधारियों को राशि ₹ 39.83 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

हमारे द्वारा मामला सरकार एवं विभाग के संज्ञान मे मई 2014 में लाया गया था परन्तु दिसम्बर 2014 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[1] अलीराजपुर, बड़वानी, बैतुल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिण्डौरी, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, मण्डला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा

3.6 निर्यात/परिवहन की गई विदेशी मदिरा/बीयर और मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि कोई भी मादक द्रव्य किसी भी आसवनी, यवासवनी, मद्यभण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से निर्यात/परिवहन नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी परिवहित/निर्यात किये जाने वाले मादक द्रव्य की पूरी मात्र पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है, अथवा समान राशि की बैंक गारंटी या प्रारूप एफ. एल. 23/देशी स्पिरिट–10 में इतनी राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बन्ध पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत नहीं करता है। इसके साथ ही लायसेंस धारक आयातक इकाई/विदेशी मदिरा भण्डागार के प्रभारी अधिकारी से एक अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विफलता की स्थिति में अन्तनिर्हित शुल्क की वसूली जमा की गई राशि प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बन्ध पत्र से की जायेगी। आगे शासन द्वारा आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 में प्रावधानित है कि यदि अनुज्ञापत्र निर्धारित समय सीमा 40 दिनों के बाद प्रस्तुत की जाती है तो वसूल की गई डयूटी सत्यापन के बाद निर्यातक को वापस की जावेगी।

मई 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात जिलों की 6 विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों[2] (विदेशी मदिरा बाटलिंग लायसेंस एफ.एल. -9) चार यवासवनियों[3] (यवासवनी/मदिरा लायसेंस बी -3) दो देशी मदिरा बाटलिंग इकाई (सी.एस. 1 बी.)[4] तथा बाह्य निर्माताओं [5] के दो केन्द्रीय भण्डागारों जो कि सात जिलों[6] में स्थित थे। (बाह्य निर्माताओं के केन्द्रीय भण्डागार लायसेंस एफ.एल -10 ए) की निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियो एवं आबकारी सत्यापन पत्रों (ई.बी.सी.) में हमने देखा कि दिसम्बर 2013 और जनवरी 2014 के मध्य लायसेंस धारकों ने 565 अनुज्ञापत्रों पर 10,83,414.92 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट) 8,60,755.00 बल्क लीटर (बी.एल.) बीयर और 1,70,144.5 प्रूफ

---

[2] मे. युनाइटेड स्प्रीट लिमिटेड, सारवेर, भोपाल, मे. युनाइटेड स्प्रीट लिमिटेड, गोविन्दपुरा, भोपाल,
मे. ओएसीस डिसटीलरी लिमिटेड, धार, मेसर्स कोक्स इडिया लिमिटेड नौगांव, छत्तरपुर, मेसर्स सोम डिसटीलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन और मेसर्स सोम डिसटीलरी और ब्रिवरीज लिमिटेड रोजराचक, रायसेन

[3] मेसर्स जगपीन ब्रिवरीज लिमिटेड, नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स एम.पी. बीयर प्रोडक्टस लिमिटेड, इन्दौर, मेसर्स सबमीलर इडिया लिमिटेड, बानमोर, मोरैना और मेसर्स सोम डिस्टलरी एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड, रोजराचक, रायसेन

[4] लाइसेन्स ऑफ कन्ट्री स्प्रिट बॉटलिग मेसर्स कोक्स इडिया लिमिटेड, नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स सोम डिस्टलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

[5] मेसर्स भाटिया वाईन ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड जबलपुर एण्ड मेसर्स युनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड सारवेर भोपाल

[6] भोपाल,छत्तरपुर, धार,इन्दौर, जबलपुर, मोरैना और रायसेन

लीटर (पी.एल.) देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन किया, जिसमें शुल्क ₹ 14.41 करोड़ अर्न्तनिहित था। यद्यपि इस प्रकार निर्यात/परिवहन की गई मदिरा की मात्र की प्राप्ति के सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाईयों से निर्धारित समय से प्राप्त नहीं हुये थे, तथापि अनुज्ञात अवधि के पश्चात् तीन से 877 दिनों व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा बैंक गारंटी अथवा बन्ध पत्र से शुल्क के समायोजन की कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.41 करोड़ का राजस्व वसूल नहीं हुआ। आगे यह भी देखा गया कि नियमों को पालन न करनें से शास्ति का आरोपण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित करने पर जिला आबकारी अधिकारी आसवानी रायसेन ने बताया (फरवरी 2014) कि अभिलेख दमोह पुलिस द्वारा मद्य भण्डागार देवास से वसूल की गई। शेष सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जावेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मदिरा का निर्यात्/परिवहन बैंक गारंटी/बन्ध पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जवाब में यह नहीं दर्शाता कि शुल्क की वसूली/बन्ध पत्र/बैंक गारंटी की वसूली किये बिना मदिरा का निर्यात/परिवहन क्यों किया गया तथा शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्यवाही क्यों नही की गई।
हमने मामले को शासन और विभागाध्यक्ष को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है। (दिसम्बर 2014)

3.7 शास्ति की वसूली न होना।

आबकारी अधिनियम 1915 में प्रावधान है कि अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के किसी प्रावधान के अनुरूप आबकारी राजस्व से सम्बन्धित शासन को देय सभी राशियां उस सशक्ति से जो प्राथमिक तौर पर भुगतान के लिये दायी है, भू–राजस्व के बकाया की भांति कर सकें।

हमने जून 2013 में 6 विनिर्माताओं[7] पर 6 उपायुक्त आबकारी कार्यालयों[8] के शास्ति वसूली विवरण पत्रकों से अवलोकित किया कि सम्बन्धित सम्भाग के उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता द्वारा फरवरी 2010 तथा मई 2012 के मध्य की अवधि के दौरान मदिरा के अधिक मार्ग हानि के 70

[7] मेसर्स एसोसीएट अल्कोहल एण्ड ब्रिवरीज लिमिटेड खरगौन, मेसर्स सोम डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन, मेसर्स कोक्स इडिया लिमिटेड नौगाव, छत्तरपुर, मेसर्स ग्रेट गैलन लिमिटेड सेजवाया, धार, मेसर्स ग्वालियर डिस्टीलर लिमिटेड रैरू, ग्वालियर एवं मेसर्स ओएसीस डिस्टीलरी लिमिटेड धार

[8] भोपाल,ग्वालियर, इन्दौर,जबलपुर, सागर और उज्जैन

प्रकरणों तथा जिला कलेक्टर धार द्वारा एक प्रकरण में राशि ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति आरोपित की गई। आगे यह देखा कि खरगोन जिले के एक प्रकरण में राशि ₹ 62,000 की वसूली हुई, शेष 70 प्रकरणों में राशि ₹ 3.75 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा दिनांक (जून 2013) तक नहीं हुई। हमने यह भी देखा कि सहायक आबकारी आयुक्तों उप आबकारी आयुक्तों द्वारा भू–राजस्व के बकाया की वसूली के कोई प्रयास नहीं किये गये। इस प्रकार ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति अधिरोपित नही हो सकी।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2013) आबकारी आयुक्त ने 56 प्रकरण (अगस्त 2013) में बताया कि सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को शास्ति की वसूली करने को कहा गया है, तथा शेष 15 प्रकरण आबकारी आयुक्त न्यायालय में लम्बित है। 15 प्रकरणों से सम्बन्धित आबकारी आयुक्त के जवाब मान्य नहीं है।क्योंकि आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक नं. /पठित/आबकारी/आयुक्त/12/488 ग्वालियर दिनांक 22.10.2012 में वसूली के सभी प्रकरण वापस ले लिये गये हैं तथा सभी सम्बन्धित उप आबकारी आयुक्त को शास्ति की वसूली के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अतः वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2014)

3.8 स्पिरिट और विदेशी मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना।

म. प्र. विदेशी मदिरा नियम 1996 में प्रावधान है कि लायसेंस या लेबलो की समाप्ति नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण होने पर लायसेंसधारक मदिरा का सम्पूर्ण संघ जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा। हालांकि उसे उक्त स्कंध को लायसेंस अथवा लेवलों की समाप्ति नवीनीकरण न होने और निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंस धारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जिसमें विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कंध को क्रय करने के लिए यह कह सकता है या नष्टीकरण इत्यादि के माध्यम से स्कंध के निराकरण के आदेश दे सकेगा।

हमने दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 के मध्य दो विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाई[9] जिला जबलपुर एवं विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार (एफ.एल.डब्ल्यू.एच.) इन्दौर में विदेशी मदिरा/स्पिरिट के स्कंध

[9] मेसर्स एस.जी. डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर एण्ड मेसर्स रेडसन डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर।

पंजी से अवलोकित किया कि बायलिंग इकाई के विनिर्माता इकाईयों के लायसेंस के समाप्ति/लेवलों के नवीनीकरण न होने, विदेशी मदिरा की बोतल भराई बन्द होने के कारण विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार में अनिराकृत रखे हुए 24,221.75 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 50,592.1 प्रूफ लीटर एकस्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई.एन.ए.) में स्कंध का निराकरण करने हेतु, जिसमें ₹ 71.96 लाख का शुल्क शामिल था, 9 माहों का समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन प्रकरणों के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्कंध के निराकरण हेतु कोई कार्यवाही करने के निर्देश नहीं दिये गये। परिणामस्वरूप राशि ₹ 71.96 लाख राजस्व की हानि हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार इन्दौर तथा सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर (दिसम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) में बताया कि प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आबकारी आयुक्त को भेज दिये गये है। तथा की गई कार्यवाही से लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा। प्रकरणों में दी गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुई है। (मई 2014)

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (मई 2014); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2014)

3.9 स्पिरिट और विदेशी मदिरा/बीयर की कमी पर शुल्क/शास्ति जमा न करना।

आबकारी अधिनियम 1915 के तहत बनाये गये नियमों में एक लायसेंस धारक के स्टॉक में कम पाई गई स्पिरिट और विदेशी मदिरा से भरी बोतल/बीयर विनिर्माण इकाईयों एवं विदेशी मदिरा मद्य भण्डागार में मान्य करने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार ऐसी कमियों पर आबकारी आयुक्त द्वारा लायसेंस धारक पर शास्ति आरोपित की जायेगी या कोई सक्षम प्राधिकारी विहित दरों से शास्ति आरोपित करने के लिए उनके द्वारा अधिकृत की जायेगी।

हमने मे0 सबमीलर इण्डिया लिमिटेड बनमोर (अक्टूबर 2013) के बीयर बाटलिंग रजिस्टर की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य चार बैच में 1,61,204.36 बल्क लीटर बीयर की बाटलिंग की गई, के विरूद्व मात्र टेबल 29,156.4 बल्क लीटर या बीयर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई। इस प्रकार 1,32,047.96 बल्क लीटर या बीयर का कम लेखांकन किया गया। कमी के कोई कारण कारण का कोई अभिलेख में नहीं पाये गये। इस प्रकरण में ₹ 37.35 लाख की शास्ति आरोपित की जानी चाहिये थी। हालांकि हमने देखा कि प्रभारी

अधिकारी अपने उच्चतम प्राधिकारी को सूचित करने और वसूली की कार्यवाही करने में विफल रहें।

उसके अलावा हमने (दिसम्बर 2013 तथा फरवरी 2014) तीन विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाई[10] और विदेशी मदिरा मद्य भंडागार (एफ.एल.डब्ल्यू.एच.) इन्दौर के प्रभारी अधिकारी द्वारा स्टाक के भौतिक सत्यापन करने के दौरान नवम्बर 2012 तथा जनवरी 2014 के मध्य ई. एन. ए. 1340.5 पूफ़ लीटर, विदेशी मदिरा, 1322.17 प्रूफ़ लीटर तथा बीयर का 58.01 बल्क लीटर कम पाई गई। महाकाल डिस्टिलरी उज्जैन में 101.7 पूफ़ लीटर विदेशी मदिरा स्टाक में कम पाई गई (नवम्बर 2013)। इस कमियों पर शास्ति ₹ 2.65 लाख आरोपण की जानी चाहिये थी। इस प्रकार हमने देखा कि प्रभारी अधिकारी वसूली की कार्यवाही करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप राशि ₹ 40 लाख राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जबलपुर तथा उज्जैन के सहायक आबकारी आयुक्तों ने प्रकरण दिसम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य शास्ति के आरोपण हेतु जिला आबकारी आयुक्त को भेज दिये। रायसेन जिला के जिला प्रभारी अधिकारी ने फरवरी 2014 में बताया कि कमी दुर्घटना के कारण हुई जिसके निराकरण के लिए प्रकरण में जनवरी 2014 में जिला आबकारी आयुक्त को भेज दिया गया है। विदेशी मदिरा मद्य भंडागार इन्दौर के प्रभारी अधिकारी ने जनवरी 2014 में बताया कि कार्यवाही की जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी आसवानी ने बताया कि (अक्टूबर 2013) अभिलेखों के सत्यापन के बाद लेखापरीक्षा को सूचना दी जावेगी।

हम सहायक आबकारी आयुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों के जवाबों से सहमत नहीं है। क्योंकि स्टॉक में कमी के विरूद्व न तो विभाग द्वारा कोई प्रथम जाँच प्रतिवेदन दर्ज की गई और न ही, शास्ति की कार्यवाही के लिए कोई आदेश जारी किया। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। (मई 2014)

हमने मामलों को शासन तथा विभाग को (मई 2014) में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। (दिसम्बर 2014)

[10] मेसर्स महाकाल डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड उज्जैन, मेसर्स रेडसेन डिस्टीलरी प्रा. लिमिटेड जबलपुर, मेसर्स सोम डिस्टलरी प्रा. लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

3.10. अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण।

3.10.1 स्पिरिट/देशी मदिरा के अधिक नुकसान/कमी पर शास्ति का अनारोपण।

म. प्र. देशी स्पिरिट नियम 1995 के नियम 10 एवं 12 (6) के अनुसार बोतलों में भरी हुई देशी मदिरा के परिवहन में हानि की अधिकतम छूट प्लास्टिक बोतलों में 0.1 प्रतिशत तथा ग्लास बोतलों में 0. 25 प्रतिशत होगी। म. प्र. आसवानी नियम 1995 के नियम 6 (4) एवं 8 (4) के अनुसार स्पिरिट/ई. एन.ए. का एक आसवानी/भण्डागार से दूसरे–आसवानी/भण्डागार तक परिवहन में दूरी के अनुसार यह छूट 0.1 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत होगी। अनुज्ञेय सीमा से अधिक मार्ग हानियों पर अनुज्ञप्तिधारी पर तत्समय देय ड्यूटी की दर से अथवा अनाधिक की दर से आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित शास्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

हमारे द्वारा चार सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों [11] के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों की जाँच में पाया गया कि तीन बाटलिंग इकाई[12] तथा सात मद्य भण्डागार[13] से अक्टूबर – 2013 एवं मार्च 2014 के बीच कुल 578 प्रकरणों में 14,258.95 प्रूफ लीटर अनुज्ञेय सीमा से अधिक देशी मदिरा को नुकसान हुआ और एक बॉटलिंग इकाई[14] फरवरी–2014 में 5,976.0 प्रूफ लीटर देशी मदिरा कम पाई गई। आगे हमने देखा कि इन इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा किसी तरह की शास्ति आरोपित करने की कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इस तरह कुल शास्ति ₹ 31.20 लाख की वसूली नहीं की जा सकी। आगे हमारे द्वारा डी–19 रजिस्टरों एवं आबकारी प्रमाण पत्रो से देखा कि एक डिस्टीलरी इकाई[15], एक देशी मद्य बॉटलिंग इकाई[16] एवं एक विदेशी मद्य बाटलिंग इकाई[17] जो कि दो जिलो[18] में स्थित थे में फरवरी–मार्च 2014 के मध्य रेक्टिफाइड स्पिरिट की

[11] छत्तरपुर, जबलपुर, मोरैना और रायसेन

[12] मेसर्स काक्स इण्डिया लिमिटेड नौगांव, छतरपुर, मेसर्स ग्वालियर अल्कोब्री प्रा0 लि0 ग्वालियर, मेसर्स सोम डिस्टलरी प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज, रायसेन

[13] अम्बाह, छत्तरपुर, जबलपुर , मोरैना, नौवगाव, सबलगढ़ और विदिशा।

[14] मेसर्स सोम डिस्टलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज रायसेन

[15] सोम डिस्टलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज रायसेन

[16] मेसर्स काक्स इण्डिया लि0 नौगांव छतरपुर

[17] मे0 सोम डिस्टलरी एवं ब्रेवरी लि0 रोजराचक रायसेन

[18] छतरपुर एवं रायसेन

306.87 प्रूफलीटर एवं इ.एन.ए. की 352.74 प्रूफ लीटर के 27 प्रकरणों के परिवहन में अगस्त 2011 और दिसम्बर 2013 के बीच हानि हुई। जिस पर शास्ति ₹ 0.66 लाख की शास्ति आरोपित करने योग्य थी। हमने देखा कि इस पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई इस तरह से कुल शास्ति ₹ 31.86 लाख की वसूली न होने से शासन को राजस्व हानि हुई।

हमारे द्वारा यह बताये जाने पर (अक्टुबर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन ने बताया कि उपरोक्त राशि की वसूली कर जमा करा दिया जावेगा। सहायक आबकारी आयुक्त मुरैना एवं छतरपुर ने बताया कि प्रकरण बनाकर सक्षम प्राधिकारी को शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर ने बताया कि प्रकरण कार्यालय उपायुक्त आबकारी में आवश्यक कार्यवाही हेतु लम्बित है। जिला आबकारी अधिकारी आसवानी सेहतगंज ने फरवरी–2014 बताया कि 211.5 प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा के नुकसान का प्रकरण निस्तारण हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किये जा चुके है। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि देशी मदिरा 6187.5 प्रूफ लीटर भेजा गया था उसमें से 211.5 प्रूफ लीटर का नुकसान दिखाया गया है और शेष बची 5976 प्रूफ लीटर देशी मदिरा की गणना नही की गई जिस पर शास्ति अधिरोपणीय है। आगे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुऐ है। (मई 2014)
स्थिति शासन एवं विभाग के ध्यान में मई 2014 में लाई गई किन्तु दिसम्बर 2014 तक उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है।

3.10.2 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन में हुई अधिक मार्गहानियों पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 16 एवं 19 के अनुसार बोतलों में भरी हुई विदेशी मदिरा /बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी का विचार किये बिना छीजन को अधिकतम छूट 0.25 प्रतिशत होगी। यदि क्रेता और विक्रेता के एक ही जिले के होने की स्थिति में बोतलों में भरी विदेशी मदिरा/बीयर के समस्त परिवहनों में छीजन की अधिकतम छूट 0.1 प्रतिशत होगी। यदि वे भिन्न–भिन्न जिलों के है तो 0.25 प्रतिशत होगी। विहित सीमा से अधिक मार्ग हानियों पर निर्यातक अनुज्ञप्तिधारी पर तय समय देय ड्यूटी की दर से अथवा अनाधिक की दर से शास्ति का अरोपण आबकारी आयुक्त अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाकर वसूली की जावेगी।
हमारे द्वारा आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्रों की जाँच में पाया गया कि एक विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाई[19], (एफ.एल.–9) तीन आसवानी[20], तथा दो विदेशी मद्य भण्डागार[21], और एक कैन्टीन स्टोर

[19] मै. सोम डिस्टलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक रायसेन,

[20] मै. माउण्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. इन्दौर मै. सबमीलर इण्डिया लिमिटेड मुरैना एवं मै. सोम डिस्टलरीज एण्ड ब्रेबरीज प्रा. लि. रोजराचक रायसेन

[21] इन्दौर एवं जबलपुर

डिपार्टमेंन्ट[22] (एफ.एल.–6) चार जिलों[23] में अक्टुबर–2013 से फरवरी–2014 के बीच कुल 1860 प्रकरणों में 2,911.77 प्रुफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की परिवहन में मार्ग हानि हुई तथा 95,728.39 बल्क लीटर बीयर अनुज्ञेय सीमा से अधिक पायी गयी। जिन पर ₹ 27.92 लाख की शास्ति वसूली योग्य थी किंतु विभाग द्वारा आरोपित नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप शास्ति 27.92 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जान पर (दिसम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014 के मध्य) सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया (फरवरी 2014) कि एक प्रकरण को छोड़ कर अन्य सभी प्रकरणों में शास्ति आरोपित की जायेगी तथा एक प्रकरण के विषय में बताया कि स्टॉक इकाई को वापस कर दिया था जिसका लेखा बी–12 (स्टॉक एण्ड इश्यू रजिस्टर) में कर दिया था। हम सहमत नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में लेखांकित 4,570.8 बल्क लीटर बीयर के विरूद्व 10,920 बल्क लीटर बीयर निर्यात की गई । 6,349.2 बल्क लीटर (10920–4570.8) की कमी/छीजन पर विभाग ने न तो शास्ति की कोई कार्यवाई की न ही बीयर के कम लेंखाकन पर कोई उत्तर प्रस्तुत किये। प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भंण्डागार इन्दौर ने बताया कि शास्ति की कार्यवाही की गई है और वसूली की कार्यवाही प्रगति में है प्रभारी अधिकारी विदेशी मदिरा भण्डागार जबलपुर ने बताया कि वसूली कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जावेगा। सहायक आबकारी आयुक्त मुरैना ने बताया कि माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 के प्रकरण उप आयुक्त आबकारी कार्यालय के पास शास्ति आरोपित करने हेतु लम्बित है तथा अप्रैल 2013 से जुलाई 2013 के सभी प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को भेजे जा चुके है। सहायक आयुक्त आबकारी इन्दौर ने बताया कि शास्ति अधिरोपित होने के पश्चात वसूल की जावेगी।

प्रकरण में आगे कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुऐ है। (मई 2014)
हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनाक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (दिसम्बर 2014)

3.11 परिवहन/आयात शुल्क की गैर वसूली

3.11.1 देशी शराब के परिवहन पर शुल्क की गैर वसूली

म. प्र. शासन द्वारा जारी किये गये 1.4.2011 दिनांकित अधिसूचना के तहत् औद्योगिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया रेक्टिफाइड स्पिरिट (आर.एस.) के परिवहन/आयात पर ₹ 2.50 बी.

[22] कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंन्ट जबलपुर

[23] इन्दौर,जबलपुर मोरैना और रायसेन

एल. परिवहन/आयात शुल्क का अधिरोपण प्रदान करता है। इसके अलावा सरकार ने दिनांक 04.02.2014 अधिसूचना से देशी शराब के निर्माण के लिए राज्य के भीतर आसवनी परिसर के बाहर ₹ 2.50 बी.एल. की दर से परिवहन शुल्क निर्धारित किया है।

हमने चार सहायक आबकारी आयुक्तों[24] के मई 2013 से फरवरी 2014 के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 59816.2 बी.एल. आर.ए./ई.एन.ए. का परिवहन कुल 119 अनापत्ति प्रमाण पत्रों/परिवहन और 37,000 बी.एल. रेक्टिफाइड स्पिरिट का आयात पॉच आयात परमिटो पर औद्योगिक प्रयोग के लिए एल 2 (ड्रग्स के खिलाफ निर्माण के लिए प्रयोगशाला) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन जिलों[25] में अप्रैल से फरवरी 2014 के मध्य किया गया, उपरीलिखित अधिसूचना के अनुसार परिवहन/आयात फीस के कुल राशि ₹ 22.42 लाख इनके परिवहन/आयात पर देय थी, परन्तु हमने देखा कि न तो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा कराई गई और न ही विभाग द्वारा इस राशि को वसूलने के लिए कोई कार्यवाही की गई। अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं परिवहन/आयात परमिटों बिना किसी परिवहन/आयात फीस की वसूली के बिना जारी किए गए। इसके अलावा नमूना जांच (फरवरी 2014) में पाया गया कि मेर्सस सोम डिस्ट्रलरी प्रा0 लि0, सेहतगंज, रायसेन द्वारा ₹ 1,52,000 बी.एल. आर.एस. का परिवहन और परमिटों के माध्यम से दो बोतल भराई इकाईयों (सी.एस.1 बी.)[26] ने देशी मदिरा बनाने हेतु किया गया था, इस पर परिवहन फीस राशि ₹ 3.80 लाख आरोपण योग्य थी, परन्तु हमने देखा कि न तो यह राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा कराई गई ना ही विभाग द्वारा मांगी गई, इस तरह कुल राजस्व ₹ 26.22 लाख[27] वसूल नहीं किया जा सका।

हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण बताये जाने पर (मई 2013 एवं फरवरी 2014) सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन द्वारा (फरवरी 2014) बताया गया कि ₹ दो लाख की वसूली करा ली गई है। सहायक आबकारी आयुक्त, धार (मई 2013) द्वारा बताया गया कि सहायक आबकारी आयुक्त, इंदौर को में. ग्रेट गेलिओन लिमिटेड, धार के प्रकरण में शास्ति वसूली हेतु पत्र गया है। इसी तरह उनके द्वारा बताया गया कि में. ओएसिस डिस्टिलरी धार से नियमानुसार परिवहन शुल्क वसूल किया गया है, हम सहमत नहीं है क्योंकि लाईसेंसी द्वारा मात्र ₹ 50 जमा किए गए है जबकि उससे ₹ 0.50 लाख की वसूली करनी है, इसी तरह जिला आबकारी अधिकारी खरगौन द्वारा (मई 2013) बताया गया कि में. अग्रवाल डिस्टिलरी प्रा. लिमिटेड से नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा

[24] धार,खरगौन, इन्दौर और रायसेन

[25] बुरहानपुर, इन्दौर और रायसेन

[26] सोम डिस्टलरी प्रा0 लि0 सेहतगंज, एवं मे. विंन्धयांचल डिस्टलरी राजगढ़

[27] परिवहन/आयात शुल्क ₹ 22.42 लाख (896816.2 ली. पर आर.एस./ई.एन.ए ऐट द रेट 2.5 /ली.) + परिवहन शुल्क ₹ 3.80 लाख (152000 ली. देशी मद्य पर 2.5/ली.) = ₹ 26.22 लाख

रही है, जिला आबकारी अधिकारी, आसवानी, सेहतगंज, रायसेन द्वारा बताया गया (फरवरी 2014) कि आसवानी को नोटिस किया जा रहा है ।आगे प्रकरण पर कोई सूचना नहीं मिली है (मई 2014)।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

3.11.2 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन शुल्क की वसूली न होना।

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों के नियम 14(1) के अनुसार एफ.एस. 9, एफ.एल. 9 ए तथा बी–3 (विदेशी मदिरा/बीयर बॉटलिंग इकाई एफ.एल.10 ए, एफ.एल. 10 बी (केन्द्रिय भंडागार) का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा भण्डागार में भंडारण के लिए विदेशी मदिरा का परिवहन कर सकता है। इस उद्देश्य के लियें वह विदेशी मदिरा भण्डागार के प्रभारी अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा के लिए परिवहन अनुज्ञापत्र बोतल भराई इकाइयों/भाण्डगारों के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012–13 के लिए टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन करनें के लिए आबाकारी आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2012 के अनुदेशों के अनुसार जारी किये गये प्रत्येक अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा/या परिवहन अनुज्ञापत्र के लिए ऐसी स्थिति को छोड़कर जहाँ परिवहन फीस परिवहित की जाने वाली विदेशी मदिरा की मात्र पर विचार किये बिना पूर्व में ही निर्धारित की जा चुकी है, ₹ 100 की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

हमने मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य चार सहायक आबाकरी आयुक्तों[28] तथा जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर के अनापत्ति प्रमाण पत्र और परिवहन अनुज्ञापत्रों से संबंधित अभिलेखो से अवलोकीत किया कि अप्रैल 2012 और जनवरी 2014 के मध्य पांच जिलों[29] के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 24,702 अनुज्ञापत्रों पर विदेशी मदिरा का परिवहन किया गया था, तथापि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ₹ 24.70 लाख की परिवहन फीस जमा नही की गई थी। विभाग ने राशि को वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही नही की और परिवहन फीस प्रमाणित किये बिना परिवहन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किये। परिणामस्वरूप ₹ 24.70 लाख का राजस्व प्राप्त नही हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को (मई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) इंगित किये जाने के बाद सहायक आबकारी आयुक्त भोपाल तथा धार ने बताया (क्रमशः मई 2013 तथा जून 2013 में) कि परिवहन

[28] भोपाल, धार, इन्दौर और रायसेन

[29] भोपाल, धार, इन्दौर, रायसेन और शाजापुर

फीस की वसूली मद्य भाण्डागार अधिकारी द्वारा एन. ओ.सी. जारी करते समय की गई थी। जिला आबकारी अधिकारी मै. सोम डिस्टिलरी प्रा.लिमिटेड सेहतगंज ने बताया (फरवरी 2014) कि एन. ओ.सी के ₹ 100 प्रति अनुज्ञप्तिधारी जमा की गई। हम सहमत नही है क्योंकि एन. ओ.सी. जारी करने तथा परिवहन अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए अलग अलग परिवहन फीस जमा की जानी थी। सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर ने बताया (जनवरी 2014) कि वरिष्ठ कार्यालय से दिशानिर्देश प्राप्त होने पर वसूली पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। सहायक आबकारी आयुक्त रायसेन, ने मै. सोम डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड रोजराचक के संबंध में बताया कि (फरवरी 2014) वसूली की कार्यवाही की जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी शाजापुर ने बताया (दिसम्बर 2013) कि परिवहन फीस, अभिलेखों के परीक्षण के बाद जमा की जायेगी।

हमने प्रकरण शासन और विभाग को मई 2014 में प्रतिवेदित किया, उनाक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। (दिसम्बर 2014)

3.12 आसवनी में निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध न बनाये रखने पर शास्ति का अनारोपण।

म. प्र. देशी स्पिरिट नियम 1995 के अनुसार आसवानी के लाइसेन्स धारक द्वारा आसवनी में स्पिरिट की निर्धारित न्यूनतम स्टाक बनाये रखना अपेक्षित है। इसमें विफल रहने पर इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है अथवा नहीं, आबकारी आयुक्त द्वारा एक रूपये प्रति ब्लक लीटर की शास्ति निर्धारित न्यूनतम स्टाक से कम पायी गयी मात्रा पर आरोपित की जा सकेगी। आसवनी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कारगार निगरानी हेतु ऐसे विफलता के प्रकरणों को प्रत्येक तीन माह में शास्ति आरोपण आबकारी आयुक्त को प्रकरण बनाकर आबकारी आयुक्त को भेजे।

मे. अग्रवाल डिस्टलरी प्रा. लिमिटेड बड़वाह, खरगौन के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया (मई 2013) कि जून 2012 एवं अप्रैल 2013 के मध्य 90 अवसरो पर आसवनी ने निर्धारित न्यूनतम स्टॉक को नही बनाये रखा।। जिला आबकारी अधिकारी, निर्धारित न्यूनतम स्टॉक 19,14,199 बल्क लीटर से कम स्प्रिरिट पाये जाने पर आबकारी आयुक्त को शास्ति आरोपित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप ₹ 19.14 लाख की शास्ति आरोपित नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने (मई 2014) उत्तर में बताया कि निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध के प्रकरण बनाकर आबकारी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जायेंगे।

हमारे द्वारा प्रकरण शासन एवं विभागाध्यक्ष के संज्ञान में मई 2014 में लाया गया उत्तर (दिसम्बर 2014) तक अप्राप्त है।